पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 10669

==========

राहुल सिंह, पिता- श्री विजय पाल सिंह, निवासी- मोहल्ला- ब्रह्मपुर निकट गद्दी चौक, पोस्ट ऑफिस- बदायूं, थाना- कोतवाली सदर, जिला- बदायूं, उत्तर प्रदेश-243601

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य
2. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. सचिव के माध्यम से बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, सचिव, 8 वीं मंजिल, बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड, शैक्षणिक भवन, बुद्ध मार्ग, पटना-800001
4. अध्यक्ष, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, 8 वीं मंजिल, बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड, शैक्षणिक भवन, बुद्ध मार्ग, पटना-800001
5. सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, 8 वीं मंजिल, बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड, शैक्षणिक भवन, बुद्ध मार्ग, पटना-800001
6. परीक्षा नियंत्रक, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, 8 वीं मंजिल, बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड, शैक्षणिक भवन, बुद्ध मार्ग, पटना-800001

.....उत्तरदातागण

==========

के साथ

2024 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 10671

==========

दीप्ति गुप्ता, पिता- अशोक कुमार, निवासी- मकान सं. 14/107, सेंट पीटर्स स्कूल के पास, मंडी सईद खां, आगरा, (उप्र) 282002, वर्तमान में मकान सं. 194, आंचल निवास, चैनपुरा, थाना- गोपालपुर, जिला- पटना में रह रही हैं।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग (उच्चतर), बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बुद्ध मार्ग, पटना अपने सचिव के माध्यम से।
3. अध्यक्ष, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बुद्ध मार्ग, पटना।

.....उत्तरदातागण

==========

के साथ

2024 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 10673

==========

कुमारी रंजना, पति- राजीव रंजन, ए-1305, अहिंसा वाटिका, लोनी रोड, रामनगर गुरुद्वारा के पास, थाना- शाहदरा, जिला-उत्तर पूर्वी दिल्ली- 110032।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग (उच्चतर), बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।

2. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बुद्ध मार्ग, पटना अपने सचिव के माध्यम से।

3. अध्यक्ष, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बुद्ध मार्ग, पटना।

.....उत्तरदातागण

==========

के साथ

2024 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 10829

==========

सच्चिदा नन्द मिश्र, पिता- बिमल प्रसाद मिश्र, निवासी- ग्राम- लक्ष्मीसागर थाना- ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जिला-दरभंगा।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग (उच्चतर), बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।

2. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बुद्ध मार्ग, पटना अपने सचिव के माध्यम से।

3. अध्यक्ष, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बुद्ध मार्ग, पटना।

.....उत्तरदातागण

==========

के साथ

2024 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 10830

==========

राकेश रौशन, पिता- सुभाष झा, निवासी- ग्राम व पोस्ट- महिसी, थाना- महसी, जिला- सहरसा।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग (उच्चतर), बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बुद्ध मार्ग, पटना अपने सचिव के माध्यम से।
3. अध्यक्ष, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बुद्ध मार्ग, पटना।

.....उत्तरदातागण

==========

के साथ

2024 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 10831

==========

नीलेश कुमार लोधी, पिता- भीम सिंह, निवासी डी-8, 33, फूटा रोड भंजनपुरा, शेरपुर, थाना- दरियापुर, जिला- उत्तर पूर्वी दिल्ली 110094।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग (उच्चतर), बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।

2. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बुद्ध मार्ग, पटना अपने सचिव के माध्यम से।

3. अध्यक्ष, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बुद्ध मार्ग, पटना।

.....उत्तरदातागण

==========

उपस्थिति:

(2024 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 10669 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से: श्री कुमार कौशिक

राज्य की ओर से: श्री पी. के. शाही, ए.जी.

सुश्री अनुकृति जयपुरियार, ए.जी. के ए.सी.

बीएसयूएससी की ओर से: श्री हर्ष सिंह

(2024 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 10671 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री संजय कुमार

राज्य के लिए: श्री पी.के. शाही, एजी

सुश्री अनुकृति जयपुरियार, ए.जी. के ए.सी.

बीएसयूएससी के लिए: श्री राकेश कुमार सिंह

(2024 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 10673 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से: श्री संजय कुमार

सुश्री मीना कुमारी

प्रतिवादी/ओं की ओर से: श्री स्थायी वकील 8

बीएसयूएससी की ओर से: श्री बिनोद जी वर्मा

बीएसयूएससी की ओर से: श्री हर्ष सिंह

(2024 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 10829 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से: श्री संजय कुमार

राज्य की ओर से: श्री सर्वेश कुमार, जीपी 24

(2024 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 10830 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से: श्री संजय कुमार

राज्य की ओर से: श्री पी. के. शाही, ए.जी.

सुश्री अनुकृति जयपुरियार, ए.जी. के ए.सी.

बीएसयूएससी की ओर से: श्री हर्ष सिंह

(2024 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 10831 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से: श्री संजय कुमार

राज्य की ओर से: श्री पी. के. शाही, ए.जी.

सुश्री अनुकृति जयपुरियार, ए.जी. के ए.सी.

बीएसयूएससी की ओर से: श्री हर्ष सिंह

==========

अधिनियम/धाराएँ/नियम:

- बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950
- बिहार विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए क़ानून, 2020

संदर्भित मामले:

- पार्क लेदर इंडस्ट्री (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2001) 3 एससीसी 135 में रिपोर्ट किया गया
- डॉ. सचिदानंद सिन्हा बनाम कलेक्टर, पटना और अन्य, 1989 पीएलजेआर 1141 में रिपोर्ट किया गया
- बलबीर कौर और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद और अन्य, (2008) 12 एससीसी 1 में रिपोर्ट किया गया
- कमिश्नर ऑफ ट्रेड टैक्स, उत्तर प्रदेश बनाम एसोसिएटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड, (2008) 7 एससीसी 409 में रिपोर्ट किया गया
- खिचड़ी राम बनाम बिहार राज्य और अन्य, 2009 (2) पीएलजेआर 265 में रिपोर्ट किया गया
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम भारत संघ और अन्य, (2022) 11 एससीसी 392 में रिपोर्ट किया गया

रिट याचिका - सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए साक्षात्कार के उद्देश्य से उम्मीदवारों को बुलाने के लिए शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्राप्त अंकों के अनुसार बिहार राज्य

विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए जारी नोटिस को रद्द करने के लिए दायर की गई।

विज्ञापन के अंग्रेजी संस्करण में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं। हालांकि, विज्ञापन के हिंदी संस्करण में उल्लेख किया गया है कि उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के मानदंड साक्षात्कार के उद्देश्य के लिए हैं।

निर्णय - हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों के बीच विवाद की स्थिति में, राज्य की भाषा होने के नाते, हिंदी संस्करण मान्य होगा। अतः, हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों के बीच विवाद की स्थिति में हिंदी संस्करण प्रबल होगा। (पैरा 23)

विज्ञापन की शर्तों और सेवा विनियमों के बीच विवाद की स्थिति में, सेवा विनियम प्रबल होगा। (पैरा 24)

यदि हिंदी संस्करण के विज्ञापन की शर्तों, अधिनियम के प्रावधानों और विज्ञापन के अंग्रेजी संस्करण को एक साथ पढ़ा जाए, तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि साक्षात्कार के उद्देश्य से शॉर्टलिस्टिंग निर्धारित मानदंड/पैरामीटर के अनुसार की जानी है। (पैरा 25)

रिट याचिका खारिज की जाती है। (पैरा 28)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

न्यायालय: माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा

<u>निर्णय और आदेश</u>

मौखिक

दिनांक : 22-07-2024

चूंकि इन सभी छह रिट आवेदनों में तथ्य और विधि का एक ही प्रश्न उठाया गया है, इसलिए सभी रिट आवेदनों पर एक साथ सुनवाई की जा रही है और एक ही आदेश द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

2. इन रिट याचिकाओं को याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 04.07.2024 (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 10669/2024 के संलग्नक पी-9) को जारी नोटिस को रद्द करने के लिए दाखिल किया गया है, जिसके द्वारा उत्तरदाता-बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने उम्मीदवारों को उनके द्वारा शैक्षणिक योग्यता के तहत प्राप्त अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाने हेतु सूचीबद्ध किया है। यह प्रक्रिया विज्ञापन संख्या एपी-मैथ-23/20-21, दिनांक 21.09.2020 के अनुसार, विभिन्न विषयों में बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए की गई है।

3. याचिकाकर्ताओं ने आगे यह प्रार्थना की है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संक्षेप में, 'आयोग) को निर्देश दिया जाए कि उन्हें 22.07.2024 से 26.07.2024 तक आयोजित होने वाले साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाए और उसके पश्चात उनकी

शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन के आधार पर उनके संबंधित विषयों में अंतिम मेरिट सूची प्रकाशित की जाए।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने चयन प्रक्रिया के संबंध में विज्ञापन के अनुच्छेद 7, विशेष रूप से खंड 7.2 का हवाला देते हुए कहा कि विज्ञापन के अंग्रेजी संस्करण में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को बुलाने के लिए उनकी शॉर्टलिस्टिंग के मानदंड निर्धारित किए गए हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि विज्ञापन के हिंदी संस्करण में, अनुच्छेद 7.2 में, यह उल्लेख किया गया है कि तालिका-1 में निर्धारित उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के मानदंड साक्षात्कार के उद्देश्य से हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि विज्ञापन के अनुच्छेद 7.1 के अनुसार, विज्ञापन के अनुच्छेद 7.2 में दी गई तालिका के तहत निर्धारित मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग साक्षात्कार के उद्देश्य से उम्मीदवारों को बुलाने के लिए नहीं है।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विज्ञापन के अनुच्छेद 7.2 में चयन मानदंड को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 10073 और 10068/2024 के याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतरिम राहत प्रदान की, तथा आयोग को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं को उनके संबंधित विषयों में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति दे। उन्होंने **पार्क लेदर इंडस्ट्री (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जिसकी रिपोर्ट **(2001) 3 एससीसी 135** में दी गई थी।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने अंत में यह प्रस्तुत किया कि उनके तर्क का मुख्य आधार इस माननीय न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा सीडब्ल्यूजेसी संख्या 10073 और 10068/2024 में पारित अंतरिम आदेश है।

7. आयोग के विद्वान अधिवक्ता ने बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए 2020 के लिए नियमावली पर भरोसा किया और कहा कि नियमावली के अनुच्छेद 3.6.2 के अनुसार, साक्षात्कार की प्रक्रिया आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी। नियमावली का अनुच्छेद 3.7 उम्मीदवार की जांच और शॉर्टलिस्टिंग से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि उम्मीदवार की शॉर्टलिस्टिंग उनके द्वारा शैक्षणिक योग्यता और शैक्षणिक उपलब्धियों में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी, जैसा कि तालिका 1 में वर्णित है। नियमावली का अनुच्छेद 3.9 साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रावधान करता है और यह कहता है कि साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या आयोग द्वारा तय की जाएगी।

8. नियमावली के अनुच्छेद 3.6.2, 3.7 और 3.9 को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि आवेदन प्रपत्रों की जांच और उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग केवल साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को बुलाने के उद्देश्य से की जानी है।

9. इसके अतिरिक्त, नियमावली के अनुच्छेद 3.6.2 को अनुच्छेद 5.7 के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि आयोग को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुला सके।

10. नियमावली के अनुच्छेद 3.9 के अनुसार, आयोग ने अपनी 19.06.2020 की संकल्प में यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक श्रेणी में विज्ञापित रिक्तियों की संख्या का तीन गुना साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा, और इसी आधार पर साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को बुलाने के लिए कटऑफ अंक निर्धारित किए गए हैं।

11. कटऑफ अंक निर्धारित करने और उस स्थिति के बारे में, जहां कटऑफ अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या के तीन गुना से अधिक थी, यह मुद्दा इस

न्यायालय के समक्ष एक उम्मीदवार द्वारा सीडब्ल्यूजेसी संख्या 1412/2023 (डॉ. प्रणव कुमार बनाम राज्यबिहार और अन्य) में उठाया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने 31.01.2023 के आदेश के माध्यम से आयोग को इस मुद्दे पर अपने स्तर पर निर्णय लेने की अनुमति दी।

12. उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, आयोग ने अपनी 97वीं बैठक, जो 19.04.2023 को आयोजित की गई थी, में यह निर्णय लिया कि जिन उम्मीदवारों ने कटऑफ अंक प्राप्त किए थे, चाहे वह रिक्तियों की संख्या के तीन गुना से अधिक हो, उन्हें साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

13. विज्ञापन के हिंदी संस्करण में, खंड 7.2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शॉर्टलिस्टिंग साक्षात्कार के उद्देश्य से होगी और शब्द *"साक्षात्कार"* का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। विज्ञापन के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच कोई असंगत विसंगति नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने कट ऑफ अंक प्राप्त नहीं किए है।

14. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि हिंदी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण के बीच संघर्ष की स्थिति में, बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 और इस मुद्दे पर इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय, **डॉ. सचिदानंद सिन्हा बनाम कलेक्टर, पटना और अन्य, 1989 पीएलजेआर 1141** के मामले में, के मद्देनजर हिंदी संस्करण की सामग्री को ही मान्य माना जाएगा। उन्होंने **बलबीर कौर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद एवं अन्य, (2008) 12 एससीसी 1** में रिपोर्ट किए गए, और **व्यापार कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश बनाम एसोसिएटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड, (2008) 7 एससीसी 409** में रिपोर्ट किए गए मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया।

15. उन्होंने अंत में तर्क दिया कि विज्ञापन का हिंदी संस्करण तथा नियुक्ति के लिए नियमावली के प्रावधान अंतरिम आदेश पारित करते समय इस न्यायालय की समन्वय पीठ के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थीं।

16. मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा विज्ञापन और नियमावली की शर्तों के साथ-साथ रिकार्ड पर उपलब्ध अन्य सामग्रियों का भी अध्ययन किया है।

17. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विज्ञापन के दोनों संस्करण, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी, रिकॉर्ड में रखे गए हैं। विज्ञापन के हिंदी संस्करण के अनुच्छेद 7.2 में यह कहा गया है कि साक्षात्कार के उद्देश्य से शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। विज्ञापन में "साक्षात्कार" शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। विज्ञापन के हिंदी संस्करण के अनुच्छेद 7.2 को नीचे उद्धृत किया गया है:

"7.2 विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों के पद हेतु साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के चयन संबंधी मानदंड निम्नलिखित तालिका के अनुरूप किया जायेगा-

<u>तालिका</u>

क्र. स	शैक्षणिक रिकार्ड	स्कोर (अंकों में)			
1.	स्नातक	80% एवं उससे ऊपर = 15	60% एवं उससे ज्यादा तथा 80 % से कम = 13	55% एवं उससे ज्यादा और 60% से कम =10	45% से ज्यादा और 55% से कम =05
2.	स्नातकोतर	80% एवं उससे ऊपर = 25	60% एवं उससे ज्यादा तथा 80 % से कम = 13	55% एवं उससे ज्यादा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति /बी०सी० 1/ बी०सी० 2 एवं दिव्यांग की	

				स्थिति में 50%) तथा 60% के कम = 20
3.	पी० एच०डी०	30		
4.1	जे०आर०एफ० के साथ नेट	07		
4.2	नेट	05		
4.3	स्लेट/सेट	03		
5.	"शोध प्रकाशन समीक्षित (peer reviewed) अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग. द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन हेतु 2 अंक"	10		
6.	शिक्षण/पोस्ट डॉक्टोरल का अनुभव (प्रत्येक एक वर्ष के लिए 02 अंक) #	10		
7.	पुरस्कार अधिकतम 03 अंक			
7.1	अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर (अन्तर्राष्ट्रीय संगठन/भारत सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के	03		

	संस्थाओं द्वारा पुरस्कार दिए जाने की स्थिति में)	
7.2	राज्य स्तर (राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार दिए जाने की स्थिति में)	02

तथापि, यदि शिक्षण/पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव की अवधि 1 वर्ष से कम होने की स्थिति में अंक समानुपातिक रूप से घटाए जाएंगे। इनका लाभ संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र के आधार पर मिलेगा।

नोट:-

(क) (i) पी०एच०डी० :- 30 अंक।

(ii) जे०आर०एफ० / नेट/सेट :- अधिकतम 07 अंक।

(iii) पुरस्कार कोटि में :- अधिकतम 03 अंक।

(ख)

अकादनिक स्कोर :- 80 अंक।

शोध प्रकाशन :- 10 अंक।

शिक्षण अनुभव :- 10 अंक।

कुल :- 100 अंक।

18. विज्ञापन के अंग्रेजी संस्करण के अनुच्छेद 7.2 में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के मापदंड का उल्लेख किया गया है, लेकिन उस अनुच्छेद में "साक्षात्कार" शब्द का अभाव है।

19. नियमावली के अनुच्छेद 3.6.2 में कहा गया है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया आयोग द्वारा तय की जाएगी। नियमावली का अनुच्छेद 3.7 यह निर्धारित करता है कि उम्मीदवारों की जांच और शॉर्टलिस्टिंग उनके शैक्षणिक योग्यता और शैक्षणिक उपलब्धियों के अंकों के आधार पर की जाएगी, जैसा कि तालिका-1 में उल्लिखित है। तालिका-1, जैसा कि नियमावली में उल्लेखित है, विज्ञापन का हिस्सा है। नियमावली के अनुच्छेद 3.9 में कहा गया है कि साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या आयोग द्वारा तय की जाएगी।

20. आयोग का यह विशेष मामला है कि आयोग ने नियमावली के अनुच्छेद 3.7 और 3.9 के संदर्भ में, अपनी 24 वीं बैठक में 19.06.2020 को पारित संकल्प में यह निर्णय लिया है कि साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सामान्य रूप से विज्ञापित रिक्तियों की तीन गुना होगी, लेकिन आयोग यदि आवश्यक समझे, तो कुछ श्रेणियों में उम्मीदवारों की आवश्यक संख्या सुनिश्चित करने के लिए इस संख्या को बढ़ा सकता है। इसके आधार पर साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों के कटऑफ अंक निर्धारित किए जाते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 1412/2023 में, आयोग ने अपनी 97 वीं बैठक में 19.04.2023 को यह निर्णय लिया कि जिन उम्मीदवारों ने कटऑफ अंक प्राप्त किए हैं, चाहे वे रिक्तियों की संख्या के तीन गुना से अधिक हों, उन्हें साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

21. बिहार आधिकारिक भाषा अधिनियम, 1950 के अनुच्छेद 2 में कहा गया है:

"**2. आधिकारिक भाषा** - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 346, 347 और 348 के प्रावधानों के अधीन, राज्य के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा हिंदी (देवनागरी लिपि में) होगी। "

22. **एसोसिएटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड** (सुप्रा) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि उत्तर प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है और यदि अंग्रेजी और हिंदी में अधिसूचनाओं के बीच कोई अंतर पाया जाता है, तो हिंदी में जारी अधिसूचना लागू होगी।

23. इस न्यायालय की खंडपीठ ने **खिचड़ी राम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य** के मामले में, **2009 (2) पीएलजेआर 265** में रिपोर्ट की, **डॉ. सचिदानंद सिन्हा** (उपरोक्त) के पूर्ण पीठ के निर्णय का संदर्भ लेते हुए यह निर्णय दिया कि हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के बीच संघर्ष की स्थिति में. चूंकि राज्य की भाषा हिंदी है, इसलिए हिंदी संस्करण ही प्रभावी होगा। अतः, हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के बीच संघर्ष की स्थिति में, हिंदी संस्करण ही लागू होगा।

24. **कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम भारत संघ एवं अन्य**, **(2022) 11 एससीसी 392** में रिपोर्ट किए गए मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि विज्ञापन और सेवा विनियमन की शर्तों के बीच टकराव की स्थिति में, सेवा विनियमन ही मान्य होगा।

25. यदि विज्ञापन के हिंदी संस्करण के अनुच्छेद 7.2. नियमावली के प्रावधान और विज्ञापन के अंग्रेजी संस्करण के अनुच्छेद 7.2 को एक साथ पढ़ा जाए, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग साक्षात्कार के उद्देश्य के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार की जानी है।

26. न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वह प्रशासनिक क्रिया, जैसे कि विज्ञापन, को इस प्रकार से व्याख्यायित करे जिससे किसी भी प्रकार की कठिनाई, अन्याय, बेतुकेपन या असुविधा

को समाप्त किया जा सके। जहां पाठ के अर्थ में अस्पष्टता हो, वहां न्यायालय को व्याख्या के परिणामों को भी उचित ध्यान देना चाहिए। यदि विज्ञापन के अंग्रेजी संस्करण के अनुच्छेद 7.2 को इस प्रकार व्याख्यायित किया जाए कि शॉर्टलिस्टिंग साक्षात्कार के उद्देश्य से नहीं की जाती, तो इसका परिणाम यह होगा कि सहायक प्रोफेसर के रूप में विभिन्न विषयों के तहत आवेदन करने वाले हजारों उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जिससे चयन प्रक्रिया में आयोग को बड़ी कठिनाई होगी, विशेष रूप से जब आयोग ने अपनी अधिकारिता के तहत यह निर्णय लिया है कि उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जो विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के तीन गुना तक होगा, और इसी आधार पर कटऑफ अंक निर्धारित किए गए हैं।

27. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, तथ्यों और कानून के आधार पर, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि याचिकाकर्ताओं को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं है, जब तक कि वे आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के तहत निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त नहीं करते, जैसा कि आयोग के 04.07.2024 के नोटिस (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 10669/2024 के परिशिष्ट पी 9) में बताया गया है।

28. अतः, इन रिट याचिकाओं को अस्वीकार किया जाता है।

29. इस चरण में, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आयोग ने शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को विज्ञापन के अनुच्छेद 7.2 की तालिका-1 के तहत निर्धारित मापदंडों किरायों के अनुसार अंक सही तरीके से नहीं दिए हैं।

30. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने आयोग द्वारा दिए गए गलत अंकों के मुद्दे पर विचार नहीं किया है और याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे को एक अलग रिट याचिका के माध्यम से उठाने का स्वतंत्रता है।

31. सीडब्ल्यूजेसी संख्या 10669/2024 के याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण आयोग ने इस न्यायालय के समक्ष सील कवर में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने लिफाफा खोला और पाया कि याचिकाकर्ता ने सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त नहीं किए हैं। अंक विवरण वाला लिफाफा कोर्ट मास्टर के द्वारा फिर से सील कर दिया गया है और इसे श्री हर्ष सिंह, आयोग के लिए विद्वान अधिवक्ता को सौंपा गया है।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायाधीश)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।